

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-7/स्थाना./हिन्दी/2021 दिनांक-29.09.2021 के तहत श्री चेतनदास, व्याख्याता-हिन्दी, राउमावि, श्रीबालाजी, नागौर का स्थानान्तरण राउमावि, चान्दसमा-देचू, जोधपुर किया गया तथा श्री पोकरराम, व्याख्याता-हिन्दी का राउमावि, चान्दसमा-देचू, जोधपुर से राउमावि, श्रीबालाजी, नागौर स्थानान्तरण किया गया। श्री चेतनदास द्वारा उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सि.या. सं.-14171/2021 चेतनदास बनाम सरकार व अन्य दायर की गई। उक्त याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक-25.10.2021 द्वारा विभागीय आदेश दिनांक-29.09.2021 का याचिकार्थी की हद तक स्थगन प्रदान किया है।

अतः प्रशासनिक अत्यावश्यकता, जनहित, छात्रहित एवं राउमावि, श्रीबालाजी, नागौर में व्याख्याता-हिन्दी के पद पर दोहरे पदस्थापन के निवारणार्थ एवं माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय की पालना में श्री चेतनदास, व्याख्याता-हिन्दी, राउमावि, श्रीबालाजी, नागौर में व्याख्याता-हिन्दी के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं श्री पोकरराम, व्याख्याता-हिन्दी को स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर पदस्थापन राउमावि, भोमासर (219843) नागौर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्वधीन रहेंगे। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।



13.12.21

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/को.के./चेतनदास/14171/2021 दिनांक- 13-12-21

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1 संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर
- 2 संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
- 3 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
- 4 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, नागौर/जोधपुर
- 5 जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर
- 6 विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
- 7 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु
- 8 संबंधित प्रधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पंजिका।

संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर